न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

निर्णय दिनांक : 11.12.2024

मुकदमा नं. :– 43 / 2019

अमीलाल बनाम बनारसी वगै0

1. अमीलाल पुत्र
2. महेन्द्रसिंह पुत्र
3. सुरजीदेवी स्त्री

स्व. हरलाल जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुझुनूं ।

वादीगण

बनाम

1. बनारसीदेवी स्त्री
2. कमलेश पुत्र
3. कविता पुत्री
4. इन्द्रकला पुत्री
5. हरप्यारी पुत्री
6. विनोद पुत्री

स्व. भाना जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुझुनूं ।

7. तहसीलदार (भु अभिलेख) झुझुनूं।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एंव रिकार्ड दुरूस्ती

वाद वादीगण निम्न आशय का पेश किया गया कि जमीन गत ख.न. 202 तादादी 17 बीघा 8 विश्वा, ख.न. 79 / 1 / 1 तादादी 15 बीघा 1 विश्वा, ख.न. 14 / 2 तादादी 9 बीघा, ख.न. 14 / 6 तादादी 3 बीघा 8 विश्वा, ख.न. 210 / 3 तादादी 14 बीघा 1 विश्वा सरहद राजस्व ग्राम नयासर तहत तहसील झुझुनूं में स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं के न्यायालय में एक दावा उनवानी हरलाल बनाम प्रताराम वगैरह मु. न. 87 / 1989 पेश हुआ। जिसमें दिनांक 31.05.1990 को निर्णय पारित कर दिनांक 04.06.1990 को डिकी पारीत की। उक्त निर्णय व डिकी के मुताबिक जमीन हाल ख.न. 202 में से पश्चिमी दिशा की 1 / 2 जमीन वादी नं. 1 व 2 के पिता तथा वादीया नं. 3 के पति हरलाल को तथा ख.न. 202 में से पूर्वी दिशा की 1 / 2 जमीन का खातेदार काश्तकार प्रताराम को घोषित किया गया तथा ख.न. 79 / 1 / 1 में से दक्षिणी दिशा की 1 / 2 जमीन का खातेदार हरलाल को एंव उत्तर दिशा की 1 / 2 जमीन का खातेदार प्रताराम को घोषित किया उक्त निर्णय व डिकी में यह भी लिखा कि ख.न. 14 / 2 व 14 / 6 व 210 / 3 में से भाना पुत्र माधाराम का नाम हटाया जाकर ख.न. 14 / 2 व 14 / 6 एंव 210 / 3 का खातेदार काश्तकार हरलाल पुत्र माया को घोषित किया। मु.न. 87 / 89 में पारित निर्णय व डिकी के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 319 दिनांक 31.08.1998 को एंव नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 03.04. 1991 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 273 के मुताबिक वादी नं. 1 व 2 के पिता हरलाल को जमीन गत ख.न. 202 / 1 रकबा 8 बीघा 14 विश्वा, ख.न. 210 / 2 रकबा 14 बीघा, ख.न. 79 / 1 / 1 मिन रकबा 7 बीघा 11 विश्वा, ख.न. 14 / 2 रकबा 9 बीघा, ख.न. 14 / 6 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा, ख.न. 210 / 3 रकबा 14 बीघा 1 विश्वा प्राप्त हुई। उपरोक्त निर्णय व डिकी के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 273 के कालम नं. 9 में निर्णय व डिकी के मुताबिक हरलाल को सही रूप से जमीन प्राप्त हुई। नामान्तरकरण संख्या 273 के मुताबिक जमीन गत ख.न. 14 / 2 व 14 / 6 व 210 / 3 में से भाना पुत्र माधाराम का नाम हटा दिया था लेकिन नामान्तरकरण संख्या 273 का अगल राजस्व रिकार्ड में किया तब ख.न. 14 / 2 व 14 / 6 व 210 / 3 के राजस्व रिकार्ड में वापिस संयश से भाना पुत्र माधाराम का नाम दर्ज हो गया। यानि

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

न. 87/89 में पारित निर्णय व डिकी की पालना राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 273 के मुताबिक
ा.न. 202/1 व ख.न. 79/1/1 मिन के सम्बन्ध में पालना सही रूप से हो गई लेकिन गत ख.न. 14/2
14/6 व 210/3 के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 273 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड कायम नहीं हुआ
था संवंश से भाना पुत्र माधाराम का नाम गलत रूप से चल रहा है जबकि उक्त भाना पुत्र माधाराम का
ाम ख.न. 14/2 व 11/6 व 210/3 के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 273 के मुताबिक भाना
त्र माधाराम का नाम हटाया जाना चाहिये था। मौजुदा वाद पत्र में जमीन गत ख.न. 14/2 व ख.न.
4/6 व ख.न. 210/3 का ही विवाद है।

जमीन गत ख.न. 14/2 के दौराने पैमाईस हाल ख.न. 24 रकबा 2.28 हैक्टर, ख.न. 14/6 के हाल ख.न.
28 रकबा 0.86 हैक्टर, गत ख.न. 210/3 के हाल ख.न. 495 रकबा 3.55 हैक्टर बने। उक्त भाना
गणपतराम के गोद चला गया उक्त भाना जायन्दा पुत्र माधाराम दतक पुत्र गणपतराम का दिनांक 02.09.
2003 को देहान्त हो चुका है प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 उक्त भाना के वारिस है। वादीगण ने दिनांक 01.03.
2019 को मु.न. 87/89 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.1990 व डिकी 04.06.1990 के मुताबिक जमीन हाल
ख.न. 24, 28, 499 में से भाना जायन्दा पुत्र माधाराम का नाम हटाने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी नं.
7 तहसीलदार ने निर्णय व डिकी बहुत पुरानी होने के कारण निर्णय व डिकी का अमल राजस्व रिकार्ड में
करने से मना कर सक्षम न्यायालय अदालत हाजा में रेगुलर दावा पेश कर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी
इसलिये मौजुदा वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त हरलाल पुत्र
माधाराम का देहान्त हो चुका है वादीगण उक्त हरलाल के वारीस है। दावा हाजा के लिये वाद कारण
दिनाक 01.03.2019 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी नं. 7 तहसीलदार ने निर्णय व डिकी की पालना राजस्व
रिकार्ड में करने से इन्कार कर सक्षम न्यायालय हाजा में रेगुलर दावा पेश कर आदेश प्राप्त करने की
सलाह दी। तब वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से एडवोकेट श्री राजेश पुनिया उपस्थित आये। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्तागण ने मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री जारी करने में सहमति जाहिर की। अधिवक्तागण को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड, वादी महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत वीफ का शपथ पत्र व संलग्न प्रदर्श 1 लगायत 17 अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों प्रदर्श संख्या 1 से जाहिर होता है कि मु0 नं0 87/89 में प्रतिवादीगण के पिता स्व. भानाराम ने ईकबालिया जबाब पेश किया था उक्त विवाद भानाराम के ही हक हिस्से तक का है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा वादी द्वारा प्रस्तुत चीफ के शपथ पत्र से भी वाद वादीगण साबित होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वकील वादीगण वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नयासर तहसील झुंझुनूं में हाल भूमि खसरा नं. 24 रकबा 2.28 है0, खसरा नं. 28 रकबा 0.86 है. व खसरा नं. 495 रकबा 3.55 है0 कृषि भूमि में मुताबिक मु. नं. 87/89 में पारित निर्णय/डिक्री के अनुसार संलग्न प्रदर्श संख्या 11 जमाबंदी सम्वत 2060–2063 में से भाना पि. माधाराम का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

11/12/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner